तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.1.18	वकील वादी उपस्थित। बहस अंतिम सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31.1.18 को पेश हो। SDOK
31/01/18	वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ता० दि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड से जमा हो। सुनाया। S.D.K.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/149ए/2016

1. सुरेन्द्र पुत्र राजेश जाति जाट निवासी बडका
2. विश्वेन्द्र पुत्र राजेश जाति जाट निवासी बडका
3. खेमसिंह पुत्र राजेश जाति जाट निवासी बडका
   तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादीगण

बनाम

1. राजेश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बडका तहसील कठूमर
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर कठूमर जिला अलवर
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्ट्रर अलवर
4. पी एन बी बैंक शाखा कठूमर जरिये प्रबन्धक

----- प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–
श्री रतनसिंह राजपूत
श्री नरपतसिंह राजपूत एडवोकेटस : वकील वादीगण

निर्णय दिनांक 31.01.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 137/195 रकवा 0.68, 143/197 रकवा 0.75 हे. 144/198 रकवा 0.95 हे. 158 रकवा 1.39 हे. 159/199 रकवा 0.67 हे. 160/200 रकवा 0.37 हे. 161/201 रकवा 0. 42 हे. कुल किता 7 रकवा 5.23 हे. ग्राम रेटी तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के बाबा रामजीलाल से प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई थी जो आराजी पैत्रिक आराजी है तथा रामजीलाल को भी उसके पिता से प्राप्त हुई थी। पुस्तैनी आराजी है जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से मुस्तर्का काश्त करते रहे है। विधि के अनुसार वादीगण को जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। जिससे प्रत्येक वादीगण का 1/4–1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा है इस तरह से वादीगण का कुल आराजी में से 3/4 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं01 विवादित

आराजी को विना तकसीम किये हुये ही वेचान करना चाहता है वादीगण ने प्रतिवादी सं01 से अपने हिस्से की आराजी अपने नाम कराने वावत कहा तो प्रतिवादी सं01 ने मना कर दिया। प्रतिवादी सं01 विना घरू आवश्यकता के उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है तथा विवादित आराजी में वादीगण के 3/4 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है। अतः वादी ने 137/195 रकवा 0.68, 143/197 रकवा 0.75 हे. 144/198 रकवा 0.95 हे. 158 रकवा 1.39 हे. 159/199 रकवा 0.67 हे. 160/200 रकवा 0.37 हे. 161/201 रकवा 0.42 हे. कुल किता 7 रकवा 5.23 हे. ग्राम रेटी तहसील कठूमर की 3/4 हिस्सा की आराजी अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने व प्रतिवादी को वादीगण के उपरोक्त हिस्सानुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने रहन वय ना करने हेतु पाबन्द कराने व दावा मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी हाजिर अदालत आया। वादीगण एंव प्रतिवादी सं01 ने दिनांक 10.02.2017 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है व दावा के अनुतोष मुताविक विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होना व विवादित आराजी पैत्रिक होना स्वीकार करते हुये दावा वादीगण डिकी किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 2,3,4 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व दिनांक 05.01.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2030 प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2030 दूसरा खाता वाके ग्राम रेटी प्रदर्श 2 जमाबन्दी हाल संवत् 2071 वाके ग्राम रेटी प्रदर्श 3 पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी सुरेन्द्र पी डब्ल्यू 1, गवाह मुकेश पी डब्ल्यू 2 गवाह कैलाश पी डब्ल्यू 3 के वयान रेकार्ड कराये है जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित वहस पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम रेटी पैत्रिक भूमि है जो विरासत में प्रतिवादी सं01 राजेश को प्राप्त हुई है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण को पैत्रिक आराजी में बाई बर्थ हक वो अधिकार प्राप्त हो चुके है। माननीस सुप्रिम कोर्ट व हाई कोर्ट की कई साइटेशन

है। विवादित आराजी में वादीगण एंव प्रतिवादी सं01 का बराबर बराबर हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 1 को उक्त आराजी वादीगण के दादा रामजीलाल से विरासत में प्राप्त होने के वाद कभी विभाजित नहीं हुई है। वादीगण विवादित आराजी में 3/4 हिस्सा की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी हैं। जमाबन्दी संवत् 2030 से 2032 में विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामजीलाल के नाम दर्ज है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, राजीनामा व वयान गवाहान से विवादित आराजी पैत्रिक सावित है। अतः विवादित आराजी में वादीगण को 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। हुई है। अधिवक्ता वादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में माननीय सुप्रिम कोर्ट हाईकोर्ट के निर्णय व कानूनी नजीरों की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली हैं।

वादीगण को अपने दावा सावित करने के लिये निम्न विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1.क्या भूमि पैत्रिक है।

2.क्या प्रतिवादी के हिस्से की दर्ज रेकार्ड आराजी पर वादीगण का 3/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है।

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड प्रदर्श 1 से 3 गवाह पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 3, राजीनामा व प्रस्तुत निर्णय व कानूनी नजीरों की छाया प्रतियों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2030 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 158, 137 मिन, 143 मिन, 144 मिन, 159 मिन, 160 मिन, 161 मिन रामजीलाल वगैरा की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2030 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 137 मिन, 138, 139, 143 मिन, 144 मिन, 159 मिन, 160 मिन, 161 मिन, 158 रामजीलाल वगैरा की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2071 में विवादित आराजी प्रतिवादी सं01 की खातेदारी में दर्ज है। यह निर्विवाद है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व रामजीलाल के पोत्र है। विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के दादा रामजीलाल से विरासत में प्राप्त होना प्रमाणित है। जहां तक पैत्रिक आराजी में पिता के जीवित रहते उसके पुत्र को अधिकार प्राप्त होने का है इस विन्दु को सावित करने के लिये अधिवक्ता वादीगण ने माननीय सुप्रिम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्णय व कानूनी नजीरें प्रस्तुत की है जो प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती

है। इसके फलस्वरूप प्रतिवादी राजेश स्वंय ने राजीनामा पेश कर विवादित आराजी पैत्रिक विरासत से प्राप्त होना व खुद के नाम दर्ज हिस्सा में वादीगण का 3/4 हिस्से पर कब्जा काश्त होना कथन किया है जो प्रतिवादी का स्वीकारोक्ति कथन है। गवाह पी डब्ल्यू 1 स्वंय वादी सुरेन्द्र विवादित आराजी में प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में वादीगण का 3/4 हिस्से पर कब्जा काश्त होना व स्वतंत्र गवाह गवाह पी डब्ल्यू 2 पी डब्ल्यू 3 ने प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी में 3/4 हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त होना कथन करते है। उपरोक्त विवेचन से सावित है कि विवादित आराजी पैत्रिक विरासत से प्राप्त है। प्रतिवादी राजेश के नाम दर्ज आराजी में वादीगण का 3/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, राजीनामा, गवाहान व प्रस्तुत कानूनी नजीरों के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की लिखित वहस पर मनन करने पर दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बरान 137/195 रकवा 0.68, 143/197 रकवा 0.75 हे. 144/198 रकवा 0.95 हे. 158 रकवा 1.39 हे. 159/199 रकवा 0.67 हे. 160/200 रकवा 0.37 हे. 161/201 रकवा 0.42 हे. कुल किता 7 रकवा 5.23 हे. गांव रेटी तहसील कठूमर के 3/4 हिस्से तक प्रतिवादी सं01 का नाम राजस्व रेकार्ड से कलमजन कर वादीगण को 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के 3/4 हिस्सा के अनुसार उक्त आराजी में कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 31.01.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर